

संचालनालय खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण

ब्लॉक-2, तृतीय तल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)
(Telephone-0771-2511974, mail id- dirfood.cg@gov.in, website- https://fcs.cg.gov.in/)

क्रमांक 26 / संचा.-वि.स. / 2025

नवा रायपुर, दिनांक 01/07/2025

प्रति,

1 प्रबंध संचालक,
छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या.
अटल नगर, नवा रायपुर

2 कलेक्टर,
जिला-धमतरी,
छत्तीसगढ़

विषय :- विधानसभा प्रश्न क्रमांक 388 अतारांकित द्वारा श्री ओंकार साहू, सदस्य विधानसभा की जानकारी उपलब्ध कराने बाबत।

—00—

कृपया विषयांतर्गत विभाग से प्राप्त विधानसभा प्रश्न क्रमांक 388 अतारांकित की प्रति संलग्न है।

उपरोक्त विधानसभा प्रश्न के प्रश्नांश "क" का उत्तर 'यूनिफांन्ट फॉन्ट' में (परिशिष्टों की जानकारी भी 'यूनिफांन्ट फॉन्ट' में) आज ही ई-मेल (dirfood.cg@gov.in) के माध्यम से हार्ड कॉपी एवं साफ्ट कॉपी सहित अनिवार्य रूप से भिजवाने का कष्ट करें।

(विधानसभा प्रश्न विभागीय वेबसाईट से भी डाउनलोड कर सकते हैं)।
संलग्न-उपरोक्तानुसार

सहायक संचालक

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर

पृ.क्रमांक 27 / संचा.-वि.स. / 2025

नवा रायपुर, दिनांक 01/07/2025

प्रतिलिपि :-

खाद्य नियंत्रक, जिला-धमतरी, छत्तीसगढ़ की ओर प्रेषित कर, आदेशानुसार निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रश्न की जानकारी संचालनालय को निर्धारित समय-सीमा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

सहायक संचालक

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं

छत्तीसगढ़ विधान सभा



प्रश्न

- (१) प्रश्न क्रमांक
(२) विभाग से उत्तर प्राप्त होने की अंतिम तिथि
(३) सदन में उत्तर देने की तिथि
(४) वर्ग जिसके लिये यह तिथि नियत है

• 388
• 06/07/2025
• 15/07/2025
• वर्ग - 2
वाणिज्य एवं उद्योग
विभाग

विषय:- धमतरी जिले में वर्तमान में संचालनरत राइस मिल
श्री ओंकार साहू

अतारांकित प्रश्न

क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) धमतरी जिले में वर्तमान में संचालनरत राइस मिलों की संख्या, उत्पादन क्षमता (टन/प्रतिदिन)

तथा उनके द्वारा प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों के अनुपालन की अद्यतन स्थिति क्या है?

(ख) क्या यह सत्य है कि अनेक राइस मिलों में औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा मानकों (Industrial Occupational Safety Standards) जैसे - निर्धारित संख्या में अग्निशामन यंत्र, रेस्पिरैटर मास्क, धूल निर्व्यंजक यंत्र (Dust Extractors), एवं त्रिमिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है, जिससे त्रिमिकों के स्वास्थ्य को गंभीर खतरा उत्पन्न हो रहा है?

(ग) क्या राइस मिलों के अपशिष्ट जल (Effluent) एवं धान भूसी (Husk) के खुले में निस्तारण के कारण स्थानीय खाद्यादी में वातावरणीय प्रदूषण, जल स्रोतों की विषाक्तता एवं क्षसन रोगों की भिकायतों में वृद्धि हो रही है? यदि हां, तो इस पर अब तक कौन-कौन से नियामक व दंडात्मक कदम उठाए गए हैं? वर्ष 2023-24 से 20 जून, 2025 की अवधि में किन-किन अधिकारियों द्वारा राइस मिलों का निरीक्षण किया गया है? वर्षवार, दिनांकवार, निरीक्षणकर्ता अधिकारी का नाम, राइस मिल का नाम तथा निरीक्षण के दौरान पाये गये कमियों सहित जानकारी प्रदान करें?

मार्किंगेड
धमतरी (क)

स्वीकृत

H+E

टंकणकर्ता
SANTOSH
24/06/2025
Total Word Count : 179